संख्या– / I I(02) / 2021–17(06) / 2015, टी0सी0–III

प्रेषक,

अजीत सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–02 **देहरादून, दिनांक 10 मार्च, 2021**

विषयः– पूंजीलेखा मद में अनुदान संख्या–20 राज्य सैक्टर जमरानी बांध परियोजना के अन्तर्गत आवश्यक सुविधाओं के निर्माण / पुनर्निर्माण हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1879 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / नि0अनु0 / पी–27(जमरानी) दिनांक 13.07.2020 एवं पत्र संख्या–2232 / प्र0अ0 / बजट / सिं0वि0 / बी–1 (पुनर्विनियोग), दिनांक 14.10.2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जमरानी बाँध बहुदेशीय परियोजना हेतु Command Area, Cropping Pattern एवं Canal Network आदि के G.I.S Mapping के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संस्था का चयन गुणवत्ता एवं लागत पर आधारित चयन (QCBS) प्रक्रिया के माध्यम से कराये जाने की अनुमति तथा पूंजीलेखा मद में अनुदान संख्या–20 राज्य सैक्टर जमरानी बांध परियोजना के अन्तर्गत आवश्यक सुविधाओं के निर्माण / पुनर्निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में उक्त योजनान्तर्गत बी0एम0–9(1) प्रपत्र में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत बचतों में से ₹ 55.873 लाख (रूपये पच्चपन लाख सत्तासी हजार तीन सौ मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोजित करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i) सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जाय, जिसके लिए स्वीकृति जारी की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित सम्बन्धित धनराशि अधिकारी व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी होंगे।

(ii) धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।

(iii) धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की आगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जाएगी।

(iv) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के सुसंगत प्राविधानों, तथा शासन द्वारा मितव्ययता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों का पूर्ण रुप से पालन किया जाय।

(v) जहां आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त करी ली जाय।

(vi) कार्य की समयवद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताा पूर्ण रुप से उत्तरदायी होंगे।

(vii) Procurement के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः–2.....

(viii) कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आंगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

(ix) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31 मार्च 2021 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

(x) वित्त विभाग के शासनादेश सख्या–292/09(150)2019/XXVII(1)/2020, दिनांक 31 मार्च, 2020 एवं समय–समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान संख्या 20–के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–001–04–जमरानी बांध परियोजना हेतु एन.पी.वी./भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि–00–53 बृहद निर्माण कार्य के लिए भुगतान मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–647/XXVII(2)/2020, दिनांकः 01 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– Allotment ID

भवदीय,

(अजीत सिंह)
उप सचिव।

संख्या–458 (1)/II(02)/2021–17(06)/2015, टी0सी0–III, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, कोलागढ़ रोड, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कोलागढ़ रोड, देहरादून।
3– निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4–वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
6–नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7–बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
8–निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश सिंह बड़वाल)
अनु सचिव।